उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-1
संख्याः 100 /6-पु-1-11-115/2011
लखनऊः दिनांक 18 जनवरी, 2011
अधिसूचना

प्रकीर्ण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या-5, सन् 1861) की धारा 46 की उपधारा (3) और धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पुलिस नागरिक आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

| | | |
|---|---|---|
| नियम 9 का संशोधन | उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :- | |
| | स्तम्भ-1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ-2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| अधिमानी अर्हता | 9 अ अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः-<br>(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या<br>(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र पदामत किया हो, या<br>(3) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। | 9 अ अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसनेः-<br>(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या<br>(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।<br>(3) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।<br>टिप्पणीः- उक्तांकित अधिमान अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अन्तिम चयन सूची में नियम 15 (च) के अधीन वरीयता दी जायेगी। |